राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

2nd Floor, A-Wing, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi

File No.: NCST/SER-2539/MCIT/4/2025-RU-II **Dated: 28.01.2026**

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत संचार निगम लिमिटेड,
भारत संचार भवन, हरीश चन्द्र माथुर लेन, जनपथ, नई दिल्ली – 110001

विषय: विषय: BSNL में SDE (T) से AGM (T) पदोन्नति (LICE 33% CQ रिक्ति वर्ष 2023) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 17 में से केवल 10 पदों पर पदोन्नति एवं शेष 7 पद रिक्त रखने के संबंध में – श्री रविशंकर ठाकुर का दिनांक 29.07.2025 का अभ्यावेदन।

महोदया/महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशित किया गया है कि यह सूचित किया जाए कि इस प्रकरण में श्री निरुपम चाकमा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2026 को अपराह्न 02:30 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली में बैठक (Sitting) आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यवृत्त (Minutes of the Meeting) की एक प्रति संलग्न है।

2. इस संबंध में अनुरोध है कि बैठक में की गई अनुशंसाओं पर की गई / की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिवेदन (Action Taken/to be taken Report) इस कार्यवृत्त की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित किया जाए।

भवदीय,

(कुशल देव वर्मा)
उप सचिव
दूरभाष सं.: 011-24641640

Copy for information:

1. श्री रविशंकर ठाकुर, नजदीक समर्पण हॉस्पिटल, आदर्श नगर कॉलोनी, मोवा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492007 (Email: rmnu13@gmail.com; Mobile No: 9425201618)
2. PS to Hon'ble Member (NC), NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री निरुपम चाकमा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त – श्री रविशंकर ठाकुर, सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन एवं मानव संसाधन), BSNL छत्तीसगढ़ परिमंडल, रायपुर के प्रकरण में, BSNL में एस.डी.ई. (टी) से ए.जी.एम. (टी) पदोन्नति (LICE 33% CQ रिक्ति वर्ष 2023) के संबंध में।

फाइल संख्या: SER-2539/MCIT/04/2025-RU-II
सुनवाई की तिथि एवं समय: दिनांक 16.01.2026 को 02:30 बजे
बैठक में उपस्थित प्रतिभागी: संलग्नक के अनुसार

श्री रविशंकर ठाकुर, सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन एवं मानव संसाधन), BSNL, छत्तीसगढ़ परिमंडल, रायपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि BSNL द्वारा एस.डी.ई. (टी) से ए.जी.एम. (टी) पद हेतु आयोजित विभागीय आंतरिक प्रतियोगी परीक्षा (LICE 33% CQ रिक्ति वर्ष 2023) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुल 17 पद आरक्षित थे, परंतु विभाग द्वारा केवल 10 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई तथा शेष 7 पद रीक्त छोड़ दिए गए, जबकि योग्य अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी उपलब्ध थे एवं इस प्रकार पद रिक्त रखना आरक्षण नीति के उद्देश्य के विपरीत है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में दिनांक 30.09.2025 को BSNL मुख्यालय, नई दिल्ली को नोटिस जारी कर तथ्य एवं टिप्पणियां मांगी गई थीं। तथापि, संबंधित प्राधिकारी से दिनांक 12.01.2026 तक कोई लिखित प्रतिवेदन / उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हेतु दिनांक 16.01.2026 को अपराह्न 02:30 बजे Sitting आयोजित की गई।

3. बैठक में BSNL के निदेशक (मानव संसाधन) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे तथा याचिकाकर्ता भी बैठक में उपस्थित थे। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि विभागीय पदोन्नति परीक्षा में कोई प्रतीक्षा सूची / आरक्षित सूची (Waiting / Reserve List) बनाई गई होती, तो रिक्त पदों के विरुद्ध उनका चयन संभव हो सकता था। इसके प्रतिउत्तर में BSNL अधिकारियों ने अपने पूर्व कथनों को दोहराते हुए बताया कि जिन 7 पदों पर पदोन्नति नहीं की गई, वे ऐसे अधिकारियों से संबंधित थे जो विभागीय परीक्षा से पूर्व ही वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचाराधीन थे। उन्होंने यह भी बताया कि BSNL की विभागीय पदोन्नति परीक्षा (DPE) के नियमों में प्रतीक्षा सूची / आरक्षित सूची का कोई प्रावधान नहीं है तथा जो पद रिक्त रह गए हैं, उन्हें आगामी वर्ष की विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।

4. BSNL के अधिकारियों एवं याचिकाकर्ता के साथ Sitting के पश्चात, निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं तथा एवं यह बताया गया की कार्यवाही प्रतिवेदन (ATR) इस कार्यवृत्त की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए:

1. विभागीय पदोन्नति परीक्षा (DPE) से संबंधित नियमों की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
2. विभागीय पदोन्नति परीक्षा के नियमों की समीक्षा किए जाने पर विचार किया जाए, ताकि भविष्य में प्रतीक्षा सूची भी प्रदर्शित की जा सके, जिससे रिक्त पदों को अविलंब भरा जा सके।

(निरुपम चाकमा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

निरुपम चाकमा / Nirupam Chakma
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi